

आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

1. आवेदक दिल्ली सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल <https://edistrict.delhigovt.nic.in/> को ओपन करे।
2. पोर्टल के नए यूजर लिंक को क्लिक कर आधार या वोटर पहचान पत्र के साथ पंजीयन (Register) करे और पूछी गई जानकारी को भरे। पंजीयन के दौरान आवेदक जानकारी ध्यानपूर्वक भरे तथा अपने एड्रेस की लोकैलिटी को सही चयन करे ताकि आप अपने संबंधित विधानसभा का जिला कार्यालय ही चयनित हो। आवेदक आधार के साथ पंजीयन को प्राथमिकता दे।
3. REGISTRATION के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर NIC के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा भेजे गये ACCESS CODE और PASSWORD को डाले और REGISTRATION प्रक्रिया को पूर्ण करें।
4. सफलतापूर्वक REGISTRATION पूर्ण होने पर आपके मोबाइल में "REGISTRATION ID" और PASSWORD आएगा, उसे सुरक्षित रखे।
5. इस REGISTRATION ID और PASSWORD से पोर्टल पर LOGIN करे यदि LOGIN करने पर PASSWORD बदलने के लिए पूछा जाये तो कृपया PASSWORD बदले और बदले हुए नए PASSWORD से LOGIN करे तथा उसे सुरक्षित रखे।
6. सफलतापूर्वक LOGIN करने के पश्चात पोर्टल के अप्लाई ऑनलाइन लिंक में जाकर "WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT की योजना "Delhi Pension Scheme to Women in Distress" के APPLY बटन को दबाये और अपनी पंजीयन के दौरान दी गई जानकारी की जाँच करें यदि जानकारी में कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसमे सुधार करे, सुधार के दौरान आपके मोबाइल में एक OTP आएगा उसका उपयोग करें।
7. पोर्टल द्वारा आगे की पूछी गई आवश्यक जानकारी को भरे और पोर्टल द्वारा पूछे गये सारे दस्तावेजों को स्पष्ट SCAN करके UPLOAD करे। (नोट : दस्तावेज को 200 KB की साइज़ तक UPLOAD कर सकते हैं जो की पढ़ने मे स्पष्ट हो।)
9. UPLOAD करने के बाद FINAL SUBMIT करे, FINAL SUBMIT के दौरान आपके मोबाइल में एक OTP आएगा उसका उपयोग करें और आवेदन संख्या को सुरक्षित रखे, आवेदन फॉर्म का प्रिंट ले और सारे मूल दस्तावेजों के साथ अपने जिला कार्यालय में संपर्क करें।
10. आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के "ट्रैक योर एप्लीकेशन" लिंक में जाकर अपना आवेदन क्रमांक तथा नाम भरकर जान सकते हैं या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में LOGIN करने के पश्चात REPORT LINK को क्लिक कर समय समय पर जाँच करें यदि आवेदन पर कोई OBJECTION हो तो उसे समाधान कर SUBMIT करें।

नोट : पोर्टल पर आवेदक का आधार या वोटर पहचान पत्र **ALREADY REGISTERED** होने पर अथवा **PASSWORD** खोने पर, आवेदक अपने पहचान दस्तावेजों के साथ विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में संपर्क करे और ई-डिस्ट्रिक्ट का **USER ID** तथा **PASSWORD** प्राप्त करे।

{ भुगतान विलम्ब की असुविधा के लिए अपना बैंक खाता संख्या अपने आधार कार्ड से लिंक करवाये । }